न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः—32 / 2025

जी.सी.एम.एस नं.—2025 / 92

1. नकूल उम्र 4 वर्ष जगदीश नाबालिग
2. मोनिका उम्र 2 वर्ष पुत्री जगदीश नाबालिग

जरिए कुदरतीवली माता सुनीता पत्नी जगदीश जाति ओड निवासी चक 5 आर टी एम तहसील अनूपगढ़ हाल माधो डग्गी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर (राज.)

———प्रार्थीगण

बनाम्

1. जगदीश पुत्र औम प्रकाश जाति ओड निवासी चक 5 आर टी एम उदासर तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. शान्ति देवी पत्नी औमप्रकाश जाति ओड निवासी चक 5 आर टी एम उदासर तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. उप पंजीयक अूनपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. स्टेट आफॅ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति ओड निवासी उदासर तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. सोमली पुत्री ओमप्रकाश जाति निवासी ओड निवासी उदासर तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

————अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

वकील उपस्थित—

1. श्री रमेश सारस्वत एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री हसंराज डाल एडवोकेट अप्रार्थीगण सं.—1 व 2, 5, 6 की ओर से

—:: निर्णय ::— **दिनांकः—13/03/26**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं.—1 व 2 के नाम से सयुक्तं खाता में वाके 5 यू डी एम तहसील अनूपगढ़ के खाता सं.—48 / 44 के पत्थर सं.—261 / 419 मु.नं.—16 के किला नं.—1 ता 10 प्रत्येक 0.253 अ.क., 11 / 2 में 140, 12 / 2 में 0.126 कमाण्ड, 13 में 0.253, 14 / 2 में 0.127, 15 / 2 में 0.126 अ.क., 21 / 4 में 0.012 कमाण्ड कुल 3.314 हैक्टर कमाण्ड / अनकमाण्ड खातेदारी कृ[illegible]स्व रिकार्ड में दर्ज है जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रा[illegible] सं.—[illegible]2 के हिस्सा की भूमि को आयदा प्रार्थना पत्र में विवादित कृषि भूमि कहा जाऐगा[illegible]बन्दी की प्रति सलग्नं है। अप्रार्थी सं.—1 प्रार्थीगण का पिता[illegible] सं.—2 प्रार्थीगण की दादी है प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सयुक्तं हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य [illegible]मान में विवादित कृषि भूमि अपार्थी सं.—1 व 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में सयुक्त रूप से दर्ज है। अप्रार्थी से.—1 प्रार्थीगण का पिता है अप्रार्थी सं.—1 जो कि झगडालू प्रवृति का है जो अप्रार्थी सं.—2

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:50 IST
Reason: SelfAttested

व परिवार के अन्य सदस्यों के अनुचित प्रभाव में है तथा अप्रार्थी सं.–2 प्रार्थीगण की माता सुनीता के साथ हर समय घरू कलह रखता है तथा अप्रार्थी सं.–1 ने अपने परिवार के सदस्यो के अनुचित प्रभाव में आकर प्रार्थीगण की माता को मारपीट कर घर से निकाल दिया जिस कारण प्रार्थीगण अपनी माता सुनीता के साथ अपनी ननिहाल में रह रहे है तथा अब अप्रार्थी सं.–1 अप्रार्थी सं.–2 व अपने परिवार के अन्य सदस्यो के अनुचित प्रभाव में आकर प्रार्थीगण को उसके पैतृक एवं सहदायिकी हक व अधिकार से पूर्णतः वंचित करना चाहता है जबकि विवादित भूमि में प्रार्थीगण का जन्म से ही जन्मसिद्ध अधिकार व हित निहित है। चूकिं प्रार्थीगण नाबालिग है तथा प्रार्थीगण के हितार्थ यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की माता सुनीता पत्नी जगदीश की और से पेश किया जा रहा है। वाद मित्र, कुदरतीवली माता सुनीता पत्नी जगदीश नाबालिगान प्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र पेश करने में समक्ष है तथा वाद मित्र का हित नाबालिगान प्रार्थीगण के हित के विरूद्ध नहीं है। प्रार्थीगण यहां यह स्पष्ट करते है कि प्रार्थना पत्र में दर्ज कुल कृषि भूमि प्रार्थीगण के दादा औम प्रकाश के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी प्रार्थीगण के दादा औम प्रकाश का देहान्त होने के उपरांत उनके नाम की उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 व 2 एवं विनोद कुमार व सोमली को बहिस्सा बराबर 1/4 हिस्सा के रूप में विरास्तन अधिकार के तहत प्राप्त होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी इस प्रकार प्रार्थना पत्र में दर्ज अप्रार्थी सं.–1 व 2 के नाम की उक्त विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 व 2 की स्वअर्जित सम्पति ना होकर अप्रार्थी सं.–1 व 2 को विरास्तन पैतृक कृषि भूमि प्राप्त होकर, राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी जो प्रार्थीगण की मृतक व सहदायिक सम्पति है। जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही जन्मसिद्ध हक अधिकार, अधिपत्य एवं हित निहित है फलस्वरूप प्रार्थीगण विवादित कृषि भूमि के सहदायी है तथा प्रार्थीगण विवादित कृषि भूमि के अशंधारी है तथा उक्त पैतृक एवं सहदायिकी भूमि में प्रार्थीगण का अप्रार्थी सं.–1 के 1/4 हिस्सा में 2/3 हिस्सा बनता है तथा अप्रार्थी सं.–2 के 1/4 हिस्सा में प्रार्थीगण का अपने पिता अप्रार्थी सं.–1 के हक अधिकार के तहत 1/3 हिस्सा बनता है जो जन्म से प्रार्थीगण के सयुक्तं अधिकार एवं अधिपत्य में है तथा उक्त विवादित कृषि भूमि में प्रार्थीगण के जन्मसिद्ध हिस्सा के समस्त हक अधिकार, अधिपत्य एवं स्वामित्व प्रार्थीगण में निहित हो चुके है। प्रार्थीगण ने अपनी माता के माध्यम से अप्रार्थी सं.–1 व 2 को कई बार समझाईश कि विवादित भूमि प्रार्थीगण की पैतृक एवं सहदायिकी सम्पति है जो कि प्रार्थीगण के सयुक्त अधिकार व अधिपत्य में चली आ रही है इसलिऐ अप्रार्थी सं.–1 व 2 प्रार्थीगण के सहदायिकी अशं व हिस्सा भूमि प्रार्थीगण के नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवें ताकि प्रार्थीगण अपने हिस्सा को समुचित रूप से काश्त एवं सिंचित करवा सके तो अप्रार्थी सं.–1 व 2 शीघ्र ही ऐसा करवाने का आश्वासन देकर टालमटोल करते रहे। अप्रार्थी सं.–1 जो कि अप्रार्थी सं.–2 व परिवार के अन्य लोगों के अनुचित प्रभाव में है तथा अब प्रार्थीगण को अरसा 5 दिन पूर्व यह ज्ञात हुआ कि वे अप्रार्थी सं.–1 व 2 को अपने अनुचित प्रभाव में लेकर प्रार्थीगण को मृतक सम्पति में प्राप्त हुरे हक अधिकारों से वंचित करने के दुंभावनापूर्वक उदेश्य से उक्त समस्त कृषि भूमि को अन्यत्रं हस्तांतरित रहन बेचान कर खुर्द [illegible] प्रयासरत है जिस पर आज से अर्सा 3 दिन पूर्व प्रार्थीगण ने अपनी माता के [illegible] सं.–1 व 2 को समझाया कि विवादित भूमि प्रार्थीगण की पैतृक एवं सहदायिक [illegible] हैं जिसमे प्रार्थीगण का जन्मसिद्ध अप्रार्थी सं.–1 के 1/4 [illegible] 2/3 हिस्सा व अप्रार्थी सं.–2 के 1/4 हिस्सा में 1/3 हित निहित है इसलिए विवादित भूमि में प्रार्थी[illegible] के उपरोक्तानुसार अश व हिस्सा का प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने व भूमि का खाता विभाजन करवाने का कहा तो अप्राथर्थी सं.–1 व 2 ऐसा करने से साफ इंकार हो गये और

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:50 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

अप्रार्थी सं.–1 व 2 ऐलानिया कहने लगे कि वे प्रार्थीगण को कोई हिस्सा नही देगा और ना ही प्रार्थीगण का कोई हिस्सा बनता है बल्कि वे शीघ्र ही विवादित भूमि को शीघ्र ही अन्यत्र बेचान कर खुर्द बुर्द कर प्रार्थीगण को उसके हक व हिस्सा से पूर्णतया बेदखल कर देगें। प्रार्थना पत्र में दर्ज विवादित कृषि भूमि सयुक्तं हिन्दू खानदान की अविभाजित संम्पति यानि प्रार्थीगण की पैर्तक व सहदायिक सम्पति है। जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही जन्मसिद्ध अधिकार, अधिपत्य एवं हित निहित है तथा प्रार्थीगण का विवादित भूमि में जन्मसिद्ध अंश हक व हिस्सा बनता है व इसी अनुरूप प्रार्थीगण के अधिकत्र एवं अधिपत्य चला आ रहा है तथा उक्त विवादित कृषि भूमि में प्रार्थीगण के हिस्सा के समस्त हक अधिकार व अधिपत्य प्रार्थीगण में निहित हो चुके है। अप्रार्थी सं.–1 व 2 विवादित भूमि में प्रार्थीगण को उसके हक अधिकारो से वंचित करने के उद्देश्य से उक्त समस्त कृषि भूमि को अन्यत्र हस्तांतरित कर खुदई बुर्द करने के प्रयासरत है जिस सम्बंध में अप्रार्थी सं.–1 व 2 ने अर्सा 5 दिन पूर्व यह स्पष्ट धमकी भी दी है कि वे प्रार्थीगण को कोई हिस्सा नंही देगें बल्कि शिघ्र ही समस्त भूमि को शीघ्र ही अन्यत्र बेचान कर खुर्द बुर्द कर प्रार्थीगण को उसके हक व हिस्सा से पूर्णतया बेदखल कर देगा इन परिस्थितियों में अगर अप्रार्थी सं.–1 व 2 अपने अनुचित मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। जिसकी क्षति पुर्ति मुद्रा की एवज में नहीं हो सकेगी। इसलिए प्रार्थीगण अपने अधिकार एवं अधिपत्य को बनाये रखने के लिऐ अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। यह कि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन पुर्णतया प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल अप्रार्थीगण को इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी सं.–1 व 2 प्रार्थना पत्र में दर्ज कृषि भूमि सयुक्तं खाता की विवादित कृषि भूमि वाके चक 5 यू डी एम तहसील अनूपगढ़ के खाता सं.–48/44 के पत्थर सं.–261/419 मु.नं.–16 के किला नं.–1 ता 10 प्रत्येक 0.253 अ.क., 11/2 में 0.140, 12/2 में 0.126 कमाण्ड, 13 में 0.253, 14/2 में 0.127, 15/2 में 0.126 अ.क., 21/4 में 0.012 कमाण्ड कुल 3.314 हैक्टर कमाण्ड / अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 अपने 1/4 हिस्सा में व अप्रार्थी सं.–2 अपने 1/4 हिस्सा कृषि भूमि में बिना प्रार्थीगण के अधिकारो की घोषणा व खाता विभाजन करवाये किसी भी तरीके से अन्यंत्र हस्तान्तरित, रहन, बैय, दान करने से निषिद्ध रहे तथा प्रार्थीगण के हिस्सा की भूमि पर प्रार्थीगण के हिस्सा अधिकार व अधिपत्य में किसी प्रकार की वेजा मदाखलत पैदा करने व करवाने से व्यादेशित रहे तथा अप्रार्थीगण मौका एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हंसराज डाल एडवोकेट ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि [illegible] दर्ज कृषि भूमि 3.314 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी रकबा [illegible] मे दर्ज है जिसमें अप्रार्थीगण सं.–1 वा 2 के अलावा अप्रार्थी [illegible] कृषक है तथा प्रत्येक कृषक का 1/4–1/4 हिस्सा [illegible] है। उक्त प्रकर[illegible] प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण सं.–1 वा 2 के नाम से सयुंक्त खाता में 3.314 हैक्टर रकबा दर्ज होना अंकित किया है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण में जानबुझ कर सह कृषक को पक्ष[illegible] नही बनाया है। अप्रार्थीगण सं.–1 वा 2 प्रार्थीगण का पिता/दादी होना स्वीकार है शेष तथ्य अस्वीकार है क्योंकि उक्त कृषि भूमि कतई सयुंक्त हिन्दू खानदान की सयुंक्त सम्पतिं नही है। सभी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:50 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कृषक अपने 2 हिस्सा के खातेदार कृषक है। सोमली जो कि अप्रार्थी सं.–1 की बहन व अप्रार्थीया सं–2 की पुत्री है जिसके संबंध में प्रार्थीगण को पूर्णतया जानकारी है तथा प्रार्थीगण को यह ज्ञात है कि उक्त रकबा में अप्रार्थीगण सं.–1 वा 2 के अलावा अन्य भी सहकृषक है लेकिन इसके बावजुद भी सह कृषक को पक्षकार नही बनाया गया है। उक्त रकबा में प्रार्थीगण का ना तो कोई हित निहित है तथा ना ही प्रार्थीगण यह प्रार्थना पत्र पेश करने के विधिक अधिकारी है। ना ही अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 ने प्रार्थीगण को मारपीट कर घर से निकाला गया है। सोमली व विनोद कुमार से 1/4 हिस्सा दर्ज होना स्वीकार है। लेकिन उक्त कृषि भूमि किसी भी प्रकार से पैतृक सम्पतिं नहीं है तथा ना ही उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण का जन्म से कोई हित निहित है ना ही वह किसी प्रकार का हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण उक्त रकबा के कतई सहअंशदायी नही है तथा प्रार्थीगण किसी प्रकार से कोई हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 अपना हिस्सा किसी को भी रहन, बैय, खुर्द बुर्द करना नहीं चाहते है तथा ना ही इस हेतु प्रयासरत है तथा ना ही अप्रार्थीगण ने कभी प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकी दी क्योंकि उक्त रकबा प्रार्थीगण का कभी कब्जा नही रहा है। प्रार्थीगण का जब उक्त रकबा मे किसी प्रकार का कोई हिस्सा ही नही है तो प्रार्थीगण उक्त रकबा मे किस प्रकार का प्राप्त करना चाहते है। प्रार्थीगण को बेदखल करने का प्रशन ही पैदा नहीं होता है। इसलिए प्रार्थीगण हम अप्रार्थीगण के खिलाफ किसी प्रकार का स्थगन आदेश प्राप्त करने के अधिकारी नही है। यदि माननीय अदालत द्वारा किसी प्रकार का स्थगन आदेश पारित किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण अपने विधिक अधिकारो से वंचित हो जावेगें क्योंकि हम अप्रार्थीगण उक्त रकबा के उपयोग उपभोग से वंचित हो जावेगें। प्रार्थीगण ने सर्व प्रथम सह कृषक को पक्षकार नहीं बनाया तथा समस्त रकबा अप्रार्थीगण सं.–1 वा 2 के नाम से सयुंक्त खाता मे दर्ज होना कथन किया गया है जबकि उक्त रकबा मे विनोद कुमार व सोमली भी 1/4 हिस्सा के खातेदार कृषक है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश–1 नियम–10(2) सीपीसी प्रार्थना पत्र पेश कर विनोद कुमार व सोमली को पक्षकार बनाया गया है जबकि सोमली का देहांत हुऐ करीब 3 वर्ष हो चुके है। सोमली वादीगण की भुआ है लेकिन इसके बावजुद भी प्रार्थीगण ने आनन फानन में मृतका को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र पेश कर उसे पक्षकार बनाया गया है। मृतका सोमली मे चार संतान है। प्रार्थीगण का विवाद अप्रार्थी सं–1 के साथ है लेकिन विनोद कुमार व सोमली सह कृषक होने के कारण विनोद कुमार व सोमली के हिस्सा के रकबा तक स्थगन प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना–पत्र में दर्ज अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र में दर्ज कुल कृषि भूमि प्रार्थीगण के दादा औम प्रकाश के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी प्रार्थीगण के दादा औम प्रकाश का देहान्त होने के उपरांत उनके नाम की [illegible] भूमि अप्रार्थी सं. –1 व 2 एवं विनोद कुमार व सोमली को बहिस्सा बराबर 1/4 [illegible] में विरासत अधिकार के तहत प्राप्त होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी इस [illegible] प्रार्थना पत्र में दर्ज अप्रार्थी सं.–1 व 2 के नाम की उक्त विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 व 2 की स्वअर्जित सम्पति ना होकर अप्रार्थी सं.–1 व 2 की विरास्तन पैतृक [illegible] भूमि प्राप्त होकर, राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी जो प्रार्थीगण की मृतक व सहदायिक सम्पति है। जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही जन्मसिद्ध हक अधिकार, अधिपत्य एवं हित निहित है फलस्वरूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:50 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

प्रार्थीगण विवादित कृषि भूमि के सहदायी है तथा प्रार्थीगण विवादित कृषि भूमि के अशंधारी है तथा उक्त पैतृक एवं सहदायिकी भूमि में प्रार्थीगण का अप्रार्थी सं.–1 के 1/4 हिस्सा में 2/3 हिस्सा बनता है तथा अप्रार्थी सं.–2 के 1/4 हिस्सा में प्रार्थीगण का अपने पिता अप्रार्थी सं.–1 के हक अधिकार के तहत 1/3 हिस्सा बनता है। विवादित भूमि पर कब्जा काश्त मे वेजा मदाखलत करने, सिंचाई सुविधा में किसी प्रकार से व्यवधान पैदा करने से बाज व ममनु रहे प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावें। वादीगण द्वारा घोषणा व विभाजन के वाद के साथ धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना–पत्र पेश किया है। विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सयुक्त खाता की हैं यदि भूमि का अन्य को हस्तारण कर दिया जाता है तो मुकदमेबाजी बढ़ने की सभावना हैं, पक्षकारों के स्वत्व व अधिकार मूल वाद में साक्ष्य आने के उपरांत निर्णीत होगें इसलिए वाद की बाहुल्यता को रोकने के लिए तथा मूल वाद के निस्तारण तक सम्पत्ति का संरक्षित किया जाना उचित है एवं न्यायालय यह उचित समझता हैं कि मूल वाद के निर्णय तक विवादित भूमि चक 5 यू डी एम तहसील अनूपगढ़ के खाता सं.–48/44 के पत्थर सं.–261/419 मु.नं.–16 के किला नं.–1 ता 10 प्रत्येक 0.253 अ.क., 11/2 में 140, 12/2 में 0.126 कमाण्ड, 13 में 0.253, 14/2 में 0.127, 15/2 में 0.126 अ.क., 21/4 में 0.012 कमाण्ड कुल 3.314 हैक्टर कृषि भूमि की राजस्व मौका व रिकार्ड यथास्थिति बनाई रखी जावें।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाकर वाके चक 5 यू डी एम तहसील अनूपगढ़ के पत्थर सं.–261/419 मु.नं.–16 के किला नं.–1 ता 10 प्रत्येक 0.253 अ.क., 11/2 में 0.140, 12/2 में 0.126 कमाण्ड, 13 में 0.253, 14/2 में 0.127, 15/2 में 0.126 अ.क., 21/4 में 0.012 कमाण्ड कुल 3.314 हैक्टर पर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त मे बेजा मदाखलत करने, सिंचाई सुविधा में किसी प्रकार से व्यवधान पैदा करने से बाज व ममनू रहे। रकबा को रहन, बैय अथवा अन्यथा हस्तांतरित न करें एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक पक्षकारान बनाये रखे। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज **दिनांक** 13/03/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:50 IST
Reason: SelfAttested